परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

पत्र संख्या–3097एलएएस/11–338/एलएएस/11 । दिनांक 25 सित0 : 09 2011

1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक),
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

2–समस्त प्रधान प्रबन्धक,
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

3–प्रधान प्रबन्धक(के0का0/डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

4–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

5–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–परिचालक द्वारा बिना टिकट यात्री ले जाने के प्रकरणों में दोष सिद्ध पाये जाने पर सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी से कम दंण्ड न दिये जाने के संबंध में।

कानपुर क्षेत्र से संबंधित परिचालक श्री के0के0 गुप्ता।जिन्हें 06 विभिन्न प्रकरणों में बिना टिकट यात्री बस में ले जाने के सम्बन्ध में पृथक–पृथक रूप से दंण्डित किया गया था, में मा0 श्रम न्यायालय द्वारा विभागीय जांच को पूर्णतः उचित एवं वैधानिक माना गया। परिचालक की सेवाएं आदेश दिनांक 30–09–94 द्वारा समाप्त कर दी गयी थीं परन्तु विभागीय अपील में सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर उसके स्थान पर सेवा में पुनः लिये जाने एवं पिछली सेवाओं का कोई लाभ न दिये जाने का आदेश दिनांक 24–11–94 को निर्गत किया गया। श्रम न्यायालय द्वारा दंण्डादेश तथा विभागीय अपील में पारित आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि परिवहन निगम की सेवा विनियमावली में तत्संबंधी दंण्डादेश का कोई प्राविधान नहीं है। श्रम न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्व विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार दिनांक 18–6–93 को 19 यात्री बिना टिकट यात्रा कराने के सम्बन्ध में उसी परिचालक को 05 वर्ष की वेतन वृद्वि रोके जाने का दंण्ड दिया गया तथा दिनांक 29–03–93 को 20 यात्री बिना टिकट ले जाने के प्रकरण में भी 05 वर्ष की वेतन वृद्वि रोके जाने के आदेश पारित किये गये।

उपरोक्त [illegible] प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए मा0 उच्च न्यायालय ने निगम की ओर [illegible] से योजित याचिका सं0–24000/1996, 24969/1998 एवं 9213/2000 में पारित निर्णय दिनांक 4–7–2011 में यह आश्चर्य व्यक्त किया गया कि अनेको बार बस में बिना टिकट यात्री ले जाने के बावजूद भी उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की गयीं तथा बिना टिकट यात्रियों को यात्रा कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व पारित निर्णयों (N.W. Karnataka R.T.C. Vs. H.H. Pujar, AIR 2008 S.C. 3060, Divisional Manager, Rajasthan S.R.T.C. Vs. Kamruddin, AIR 2009 SC 2528) का हवाला देते हुए दिनांक 4–7–2011 को पारित निर्णय में यह धारित किया है कि बिना टिकट यात्री ले जाने का आरोप सिद्व पाये जाने पर सेवा से पृथक/बर्खास्त किये जाने के अतिरिक्त कोई दण्ड पारित न किया जाय। **इस निर्णय पर बल देते हुए यह भी कहा गया है कि इस निर्णय के सम्बन्ध में परिवहन निगम के समस्त दंण्डाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी को अवगत करा दिया जाय कि बिना टिकट यात्रियों के प्रकरणों में दंण्ड पारित करते समय उदारता न बरतें।**

अतः निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

29/9/11

(आशीष कुमार गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com